अशोक के के मीणा

वॉश का एक दशक

"आपोहिष्ठा मयोभुवः तान ऊर्जे दधातन। महे रणा य चक्षसे॥
यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते ह नः। उशतीरिव मातरः॥"

जल आनंद, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पुण्य का स्रोत है तथा माँ की भाँति जीवनदायिनी है।

"शौचम् स्वास्थ्यस्य आदरः, सौख्यस्य मूलं, सर्वारोग्यस्य सारम्, जीवनस्य प्राणः, आत्मनः शुद्धिः, लोकस्य सुस्थितिः, समृद्ध्यात्मक विकासः, धर्मस्य मूलम्।"

स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति सम्मान का प्रतीक है; यह सुख का मूल, संपूर्ण आरोग्य का सार, जीवन की प्राणवायु, आत्मशुद्धि का साधन, समाज की स्थिरता का आधार, समृद्धि एवं विकास का प्रेरक तथा धर्म का मूल है।

भारत की विकास यात्रा के अभिलेखों में पिछला दशक एक मौन लेकिन सशक्त क्रांति के रूप में उभरकर सामने आता है। एक ऐसी क्रांति जिसने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया है, जिसमें गरिमा, जीवन में सहजता, स्वास्थ्य और आशा को पुनः स्थापित किया गया है।

यह क्रांति भारत सरकार के दो प्रमुख मिशनों में निहित हैः स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन (जेजेएम)। इन दोनों मिशनों ने मिलकर जल, स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार (वॉश) के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें शासन में तकनीक को समाहित किया गया है और ग्रामीण समुदायों तथा ग्राम पंचायतों को योजना एवं क्रियान्वयन के केंद्र में रखा गया है। वॉश पहलों ने जीवन स्तर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक समावेशन और जन स्वास्थ्य के परिदृश्य को परिवर्तित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है।

पिछले दस वर्षों में, देश ने स्वच्छ जल, शौचालय सुविधाओं, और स्वच्छता व्यवहार तक पहुंच में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। ज़मीनी स्तर की लोकतंत्र प्रणाली ने नवाचार और तकनीक के साथ सामंजस्यपूर्ण सहयोग करते हुए स्थायी और समावेशी विकास के एक नए युग की शुरुआत की है।

भारत ने लंबे समय तक जल की कमी, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं और कमज़ोर स्वच्छता व्यवहार की चुनौतियों का सामना किया है। इन समस्याओं के कारण जलजनित बीमारियाँ, कुपोषण और मृत्यु दर में वृद्धि हुई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मजबूत वॉश पहलों की आवश्यकता है। सरकार की इन समस्याओं को दूर करने की प्रतिबद्धता ने देशव्यापी, महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत को जन्म दिया, जिनका उद्देश्य पूरे देश में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी ढांचे और व्यवहार में सुधार लाना है।

हालांकि, भारत की जल और स्वच्छता से जुड़ी यात्रा कोई नई नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 2500 ईसा पूर्व) में ही उन्नत नगरीय योजना, ढके हुए नाले और घरों में शौचालयों जैसे उदाहरण मिलते हैं। लेकिन समय के साथ, विशेषकर औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद, स्वच्छता एक सार्वजनिक प्राथमिकता से हट गई। इस ऐतिहासिक उपेक्षा को जाति-आधारित भूमिकाओं और सामाजिक पदानुक्रमों ने और भी जटिल बना दिया, जिससे स्वच्छता कार्यों को कलंकित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच जैसी प्रवृत्तियां गहराती गईं।

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने राष्ट्रीय योजनाओं में स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता को शामिल करना शुरू किया। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और तब से, लगभग हर योजना में किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य और स्वच्छता का उल्लेख हुआ। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) की शुरुआत हुई, जो पहला देशव्यापी, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था, जो पूरी तरह से

लेखक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव हैं। ईमेलः secydws@nic.in

स्वच्छता पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्थितियों में सुधार करना और महिलाओं को शौचालय की सुविधा के माध्यम से गरिमा प्रदान करना था। हालांकि, यह कार्यक्रम आपूर्ति-आधारित था और सामुदायिक भागीदारी की कमी के कारण इसके परिणाम सीमित रहे।

1999 में, भारत ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की शुरुआत की, जिसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए संरचना से जागरुकता और मांग उत्पन्न करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इस अभियान में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीतियों, क्षमता निर्माण और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी को केंद्र में रखा गया। टीएससी ने शौचालय निर्माण और स्वच्छता को एक अनुभूत आवश्यकता के रूप में स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई, लेकिन राज्य दर राज्य इसके कार्यान्वयन में भिन्नता रही और स्वास्थ्य प्रभाव सीमित ही रहे।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के आधार पर, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए शौचालय निर्माण हेतु सब्सिडी प्रदान करना और सामुदायिक नेतृत्व वाली समग्र स्वच्छता को बढ़ावा देना था। इस अभियान ने स्वच्छता को सार्वजनिक नीति के केंद्र में ला दिया और राज्यों को स्वच्छता-विशिष्ट नीतियाँ बनाने में सक्षम बनाया। 2014 में व्यापक स्वच्छता लक्ष्य की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, टीएससी को पुनर्गठित कर स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के रूप में लाया गया।

भारत की ग्रामीण जल आपूर्ति के साथ जुड़ाव नया नहीं है। इसकी नींव पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) में रखी गई, जब पर्यावरण स्वच्छता समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम (1954) की शुरुआत हुई। ग्रामीण जल आपूर्ति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जोड़ा गया था और इसे राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) तक समर्थन प्राप्त हुआ। 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के साथ एक बड़ा बदलाव आया, जिसका उद्देश्य तीव्र जल संकट और जलजनित रोगों से निपटना था। यह पहल पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) के दौरान न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अंतर्गत और गति में आई।

एक महिला अपने नवनिर्मित शौचालय पर 'इज्जत घर' लिखती हुई

1986 में, राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्ल्यूएम), जिसे टेक्नोलॉजी मिशन के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया गया। इसने वैज्ञानिक अनुसंधान और किफायती तकनीकों के माध्यम से जल संकट के समाधान को बढ़ावा दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में ध्यान को जल गुणवत्ता की समस्याओं – विशेषकर आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा और लवणता – की ओर बढ़ाया गया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, जल क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत, मांग आधारित और सामुदायिक प्रबंधित सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को योजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह दृष्टिकोण 2002 में शुरू किए गए स्वजलधारा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में, एआरडब्ल्यूएसपी को भारत निर्माण परियोजना में शामिल किया गया, जिसका लक्ष्य 2008–09 तक सभी बसावटों को कवर करना था। बाद में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के रूप में 2009–10 में पुनर्गठित किया गया, जिसमें जल की सतत उपलब्धता पर ज़ोर दिया गया।

2013 और 2017 में, और सुधार किए गए, जिनमें नल जल आपूर्ति, सेवा स्तर, जल गुणवत्ता, और मौजूदा योजनाओं के रखरखाव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरुआत फरवरी 2017 में हुई, जिसका उद्देश्य आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को मार्च 2021 तक सुरक्षित पेयजल प्रदान करना था।

हालांकि इन सभी प्रयासों के बावजूद, सुरक्षित स्वच्छता और जल आपूर्ति तक पहुंच में प्रगति खंडित और संरचना-प्रधान रही, जिसमें व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और दीर्घकालिक स्थिरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

निर्णायक मोड़

2014 में, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने का आह्वान किया। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बन गया, जिसने एक अरब से अधिक लोगों को प्रेरित कर दिया और इसे विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान बना दिया। इस अभियान के तहत पांच वर्षों में ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे स्वच्छता कवरेज 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 100 प्रतिशत हो गई। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद, एसबीएम-जी का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था 'संपूर्ण स्वच्छता' प्राप्त करना – अर्थात ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस

एसबीएम का प्रभाव
जान बचाई
• 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से ग्रस्त 3 लाख लोगों को बचाया गया - डब्ल्यूएचओ 2018
बेहतर पोषण और उत्पादकता
• गैर-ओडीएफ क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण के मामले 58 प्रतिशत अधिक - बीएमजीएफ 2017
महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान
• घर में शौचालय मिलने के बाद 93 प्रतिशत महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं - यूनिसेफ 2017
बेहतर अर्थशास्त्र
• स्वास्थ्य लागत में कमी के कारण ओडीएफ गाँव में एक परिवार को हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत होती है - यूनिसेफ 2017
पर्यावरण की रक्षा
• खुले में शौच से मुक्त गाँवों में मनुष्यों के कारण भूजल प्रदूषण की संभावना 2.70 गुना कम - यूनिसेफ 2019
बाल स्वास्थ्य
• हर साल 60,000-70,000 बच्चों को मरने से बचाया गया - नेचर पत्रिका 2024

और तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा सभी गाँवों को ओडीएफ प्लस मॉडल में परिवर्तित करना।

2019 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को जल जीवन मिशन (जेजेएम) – 'हर घर जल' में पुनर्गठित कर समाहित करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना। 15 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया।

जल जीवन मिशन एक नया दृष्टिकोण है – एक क्रांति, जिसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस मिशन की परिकल्पना है कि हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में (कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन), निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएसः 10500 मानक) के अनुरूप, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर, सुलभ सेवा शुल्क पर पेयजल उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो।

इन दोनों मिशनों (एसबीएम-जी और जेजेएम) ने केवल बुनियादी ढांचे की खामियों को ही दूर नहीं किया, बल्कि वॉश क्षेत्र को एक जन-केंद्रित, सहभागी आंदोलन में बदल दिया है, जिसे मजबूत नीतिगत ढांचे, राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय सहायता, तकनीकी समन्वय और क्षमता निर्माण तंत्र का समर्थन प्राप्त है।

सामुदायिक नेतृत्व में परिवर्तन

एसबीएम-जी और जेजेएम दोनों की एक विशिष्ट विशेषता है ग्राम पंचायतों और समुदाय की केंद्रीय भूमिका, जो परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। संविधान के 73वें संशोधन के तहत सशक्त संस्थाओं के रूप में, पंचायतों को ग्राम स्तरीय वॉश पहलों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जेजेएम के तहत, प्रत्येक गाँव एक ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करता है, जिसमें पेयजल स्रोत, आपूर्ति अवसंरचना, ग्रे वाटर प्रबंधन और जल गुणवत्ता निगरानी शामिल होती है। ये योजनाएं ग्राम पंचायतों की उप समितियाँ, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियाँ द्वारा विकसित और लागू की जाती हैं, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। अब तक, 5.85 लाख गाँवों में 5.2 लाख से अधिक वीडब्ल्यूएससी बन चुके हैं और समुदाय की भागीदारी से वीएपी तैयार किए गए हैं।

इसी प्रकार, एसबीएम-जी के दूसरे चरण में, ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने के प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) प्रणालियाँ लागू करना, शौचालयों का सुधार करना और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल है। 4.61 लाख से अधिक गाँवों ने ओडीएफ प्लस मॉडल स्थिति प्राप्त की है, जहाँ ग्राम पंचायतें संसाधन जुटाने, जागरुकता फैलाने और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

भारत की वॉश यात्रा को रणनीतिक तकनीकी हस्तक्षेपों द्वारा मजबूत किया गया है, जिन्होंने सेवा वितरण को अधिक विश्वसनीय, किफायती और समावेशी बनाया है।

- **ट्विन पिट टॉयलेट टेक्नोलॉजी** – एसबीएम-जी ने ट्विन पिट टॉयलेट्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। जो किफायती, रखरखाव में आसान और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। कम्पोस्ट किए गए कचरे से उर्वरक बनता है, जिससे पारिस्थितिक स्वच्छता का चक्र पूरा होता है।
- एसबीएम-जी के दूसरे चरण के तहत, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत किया गया है, ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की स्थापना के माध्यम से, जिनमें कतरन और पुनर्चक्रण की व्यवस्था है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को कचरा संग्रहण, वर्गीकरण और जागरुकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इन प्रयासों ने ग्रामीण स्वच्छता के परिणामों में सुधार किया है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दिया है।
- **लद्दाख में इंसुलेटेड वाटर पाइप्स** – ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे लद्दाख में, जहाँ शून्य से नीचे तापमान के कारण पाइपलाइन अक्सर फट जाती हैं, वहाँ इंसुलेटेड वाटर पाइप्स लगाए गए हैं, जो साल भर पाइप्ड पानी की पहुंच सुनिश्चित करते हैं–यह एक तकनीकी चमत्कार है जो चरम जलवायु के अनुकूल है।
- **सौर-चालित जल आपूर्ति प्रणाली** – भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप, कई राज्यों ने सौर-ऊर्जा संचालित गाँव स्तरीय जल आपूर्ति योजनाओं को लागू किया है, जिससे ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हुई है।
- **फ्लोटिंग जल आपूर्ति योजनाएं** – चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों या सीमित भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, गुजरात ने फ्लोटिंग जल आपूर्ति प्रणाली शुरू की है, जो मानसून के दौरान बाढ़ से बचाव सुनिश्चित करती है और तैनाती में लचीलापन प्रदान करती है।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रियल-टाइम मॉनिटरिंग**– जेजेएम ने जल आपूर्ति की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए आईओटी तकनीकों को अपनाया है। फ्लो मीटर, क्लोरीन एनालाइज़र और प्रेशर सेंसर लाइव डेटा डैशबोर्ड पर भेजते हैं। जो पूर्वनिवारक रखरखाव, गुणवत्ता आश्वासन और शिकायत निवारण में मदद करते हैं।

सुरक्षित पानी एक अपरिहार्य अधिकार है। पेयजल की रासायनिक और माइक्रोबियल सुरक्षा सुनिश्चित करना जल जीवन मिशन (जेजेएम) का एक मुख्य स्तंभ रहा है। भारत ने 2,183 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। ये प्रयोगशालाएं नियमित रूप से जल नमूनों का परीक्षण कर रही हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) गुणवत्ता युक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रहा है। ये जल परीक्षण प्रयोगशालाएं अब आम जनता के लिए भी खुली हैं ताकि वे न्यूनतम परीक्षण लागत पर अपने पानी की गुणवत्ता जांच सकें।

हरियाणा में मोबाइल जल परीक्षण वैन एक जनहितकारी पहल है जो सेवाओं को सबसे दूरदराज़ इलाकों तक पहुंचाती है। जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) नागरिकों को

महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है

ऑनलाइन परीक्षण परिणाम देखने और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है।

नागरिक-केंद्रित शासन बिना प्रभावी शिकायत निवारण प्रणालियों के अधूरा है। एसबीएम-जी और जेजेएम ने जवाबदेही और पारदर्शिता सुधारने के लिए कई उपकरण अपनाए हैं: ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जल आपूर्ति या स्वच्छता से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए कॉल सेंटर, हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप्स को एकीकृत किया है। सामाजिक ऑडिट, जन सुनवाई और गाँवों में दीवार चित्र सूचना और निगरानी उपकरण के रूप में काम करते हैं। डिजिटल डैशबोर्ड, जैसे एसबीएम और जेजेएम आईएमआईएस, गाँव स्तर पर वास्तविक समय में प्रगति की ट्रैकिंग प्रदान करते हैं।

बिहार की नवाचारी 'शौचालय क्लिनिक' पहल, जिसे एसबीएम-जी के तहत यूनिसेफ के समर्थन से शुरू किया गया है। ब्लॉक स्तर पर एक वन-स्टॉप समाधान केंद्र के रूप में कार्य करती है, जो टॉयलेट रेट्रोफिटिंग, रखरखाव और सफाई के लिए किफायती सेवाएं प्रदान करती है। ये क्लिनिक्स मानकीकृत सामग्री, प्रशिक्षित मिस्त्री और स्वच्छता परिचारकों को उपलब्ध कराती हैं, जिससे स्वच्छता सेवाओं में गुणवत्ता और पहुँच सुनिश्चित होती है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों जैसे जीविनिका को शामिल करके, यह पहल न केवल स्वच्छता अवसंरचना को मजबूत करती है बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण और समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।

व्यवहार परिवर्तन और नागरिक सहभागिता

केवल अवसंरचना से स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। निरंतर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) प्रयासों के बिना। दोनों मिशनों ने व्यापक व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) रणनीतियों का उपयोग

समुदाय के सदस्य सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) गतिविधि में भाग लेते हुए तथा जल और स्वच्छता समाधानों की पहचान करने के लिए अपने गाँव का मानचित्रण करते हुए

किया है, जिनमें जनसंचार माध्यम, लोक माध्यम, दीवार कला, नुक्कड़ नाटक और स्कूल-आधारित कार्यक्रम शामिल हैं।

डीडीडब्ल्यूएस की दरवाजा बंद, स्वच्छाग्रही आंदोलन और गंदगी से मुक्त भारत, जल उत्सव, स्वच्छ सुजल गाँव, आज़ादी की 75 कहानियाँ, पीएम संवाद, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये कुछ बड़े जन जागरुकता अभियानों के नाम हैं जिन्होंने व्यापक जागरुकता और सामुदायिक सहभागिता पैदा की है। इन विशेष आईइसी अभियानों ने महिलाओं के नेतृत्व, मासिक धर्म स्वच्छता, स्कूल वॉश और जलवायु सहनशीलता पर विशेष ध्यान दिया है।

महिलाएं, जो जल की प्रमुख संरक्षक हैं और अपर्याप्त वॉश सुविधाओं से असमान रूप से प्रभावित होती हैं, इन पहलों में प्राथमिकता पर रखी गई हैं। गाँवों में, पाँच महिलाएं/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्यें फील्ड टेस्ट किट्स (एफटीके) का उपयोग करके जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित की जाती हैं। देशभर में अब तक 24.8 लाख से अधिक महिलाओं को यह कौशल सशक्त किया गया है और वे नियमित रूप से स्रोत और वितरण बिंदुओं पर जल गुणवत्ता का परीक्षण कर रही हैं।

महिला टीमें जैसे कि बुंदेलखंड की जल सहेली, मध्य प्रदेश की जल सखी, और झारखंड की जल सहिया जल संरक्षण के प्रयासों में अग्रणी

समुदाय की महिलाएं जल प्रबंधन और स्वच्छता पर प्रशिक्षण सत्र के लिए एकत्रित हुईं

हैं, जो रिसाव ठीक करती हैं, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करती हैं, प्लंबर, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में काम करती हैं। महिलाओं को सामुदायिक नेतृत्व वाली कुल स्वच्छता (सीएलटी) पद्धति पर प्रशिक्षित किया जाता है और वे स्वच्छाग्रही के रूप में जुड़कर समुदाय में सुरक्षित स्वच्छता की दिशा में व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करती हैं।

जन आंदोलन की भावना के अनुरूप, वॉश आंदोलन में महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, स्कूल के बच्चों, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और सामुदायिक आधारित संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। कई गाँवों में, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने ग्रे वाटर पुनः उपयोग और शौचालय रखरखाव की जिम्मेदारी ली है। समुदायों ने सौर-चालित, स्व-प्रबंधित जल प्रणाली की ओर संक्रमण किया है। महिलाएं स्वयं वॉश एजेंट के रूप में उभरी हैं और निर्णय लेने और सार्वजनिक जीवन में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त किया है।

वॉश के परिणामों को सहयोगी योजनाओं और विभागों के समन्वय से मजबूत किया गया है:

- एमजीएनआईईजीएस का उपयोग सोखने वाले गड्ढे, सामुदायिक शौचालय, और जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने के लिए किया गया है।
- नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य केंद्रों में वॉश का समर्थन करता है और जल जनित रोगों की निगरानी करता है।
- समग्र शिक्षा अभियान ने स्कूलों में वॉश सुविधाओं में सुधार किया है।

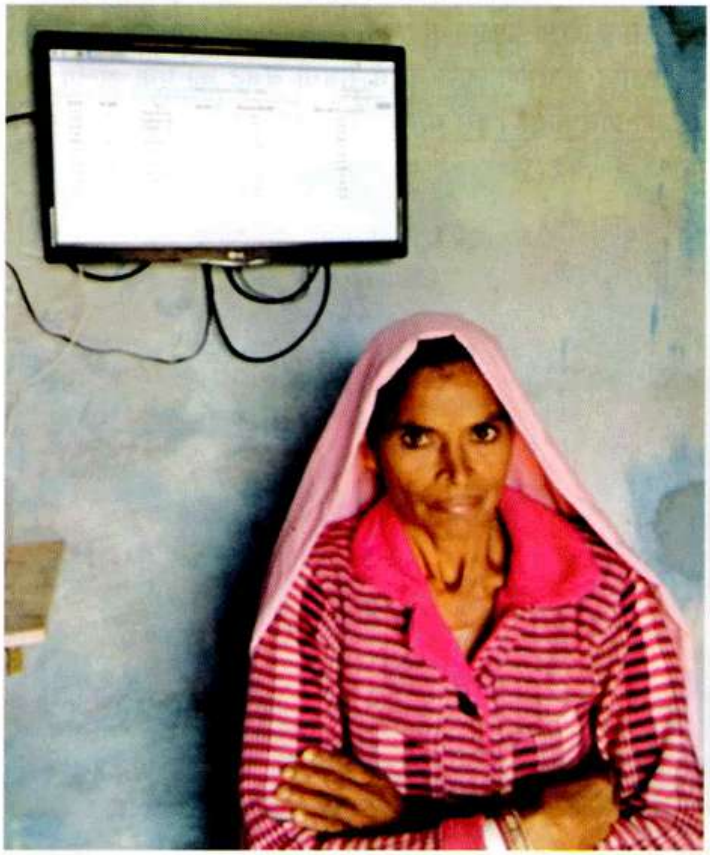

सशक्त और जागरूक - एक ग्रामीण महिला जल आपूर्ति डेटा पर नज़र रखने वाले डिजिटल डिस्प्ले के सामने खड़ी है

जीपी स्तर पर एसबीएम और जेजेएम के योजना में समेकन ने बेहतर संसाधन उपयोग और स्थानीय नवाचार को सक्षम किया है। महत्वपूर्ण रूप से, वॉश अब आकांक्षी ज़िलों के कार्यक्रम, एसडीजी स्थानीयकरण प्रयासों और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बन गया है।

आगे का रास्ता

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत@2047 की ओर बढ़ रहा है, वॉश का अगला चरण निम्नलिखित पर केंद्रित होगा:

- संस्थागत एसएलडब्ल्यूएम सिस्टम के माध्यम से ओडीएफ प्लस मॉडल की स्थिति को बनाए रखना, जिसमें स्वच्छ सजल गाँवों का निर्माण संभव बनाया जाए – ऐसे गाँव जो स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल से सत्यापित और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित हों, जो ज़मीनी स्तर पर सुरक्षित स्वच्छता और सुनिश्चित जल आपूर्ति का संगम दर्शाते हैं।
- सभी के लिए, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सुरक्षित जल का सार्वभौमिक और समान पहुंच।
- डिजिटल परिवर्तन, जिसमें स्मार्ट मोबाइल फोन, आईओटी, एआई और जीआईएस उपकरणों का समाकलन हो, जो परिसंपत्ति ट्रैकिंग, जल बजटिंग और जलवायु-स्मार्ट अवसंरचना में सहायता करें।
- व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण, जिसमें ग्रामीण इंजीनियरों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और पैराश्रम तकनीशियनों के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण शामिल हो।
- ग्राम पंचायतों और उनकी उप-समितियों को सार्वजनिक उपयोगिताओं के रूप में सशक्त बनाना।
- विभागीय सहयोग और पंचायत क्षमताओं को मजबूत करना ताकि वे प्रभावी स्थानीय सेवा प्रदाता बन सकें।
- केवल दस वर्षों में, भारत ने स्वच्छता की कमी से स्वच्छता की गरिमा, जल संकट से जल सुरक्षा और ऊपर से नीचे तक के कार्यान्वयन से समुदाय-संचालित विकास की ओर प्रगति की है।

एसबीएम और जेजेएम की यात्रा केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं की गरिमा बहाल करने, बीमारियों को रोकने, आजीविका सृजित करने और शासन को सहभागी बनाने के बारे में है। यह दर्शाता है कि एक लोकतंत्र, अपनी पंचायतों और जनता के माध्यम से, तकनीक से सशक्त होकर, अपने नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को कैसे वास्तविक रूप से बदल सकता है।

वॉश क्रांति इस बात का सबूत है कि जब नीति, लोग और प्रगति उद्देश्य के साथ मिलते हैं, तो भारत क्या हासिल कर सकता है। जैसे-जैसे हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, यह मिशन नई ऊर्जा, समावेशी इरादे और 'कोई भी पीछे न रह जाए' के साझा संकल्प के साथ जारी रहेगा। ❑